



राजस्थान सरकार

( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

( न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम )

( पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट ) केम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विद्याजी मोना R.A.S  
उपखान २२३१९  
बनाम रामेदा

दावा बाबत:- 188 R.T. Act

मुकदमा नम्बर:- 226/17

निर्णय दिनांक:- 15.6.18

वादी की ओर से श्री विद्याजी मोना की व प्रतिवादी की ओर से ( नाम पीठासीन अधिकारी ) के समक्ष अन्तिम की उपस्थिति में आज तारीख को निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि -

308/0.30 501/382/0.83 के वादी ग्राम राजाका केम्प कोर्ट के अंतर्गत से वादी का वाह भूजा लिया जाता है प्रतिवादी को अपने वाह को वादी के पास वापस किया जाता है कि विवादाधीन आबली से कि वादी को वाह वापस मिलना आबली वापस मा करे, वा उपर्युक्त केम्प कोर्ट के अंतर्गत से वादी को वाह वापस मिले।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.6.18 को मेरे हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्री विद्याजी मोना R.A.S

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम